न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर कैम्प कोर्ट ठेडी

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमति रेणू मीणा (आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या :— 26/2017 दिनांकः— 21.05.2018

1. रघुवीर पुत्र स्व0 श्री केशर राम उर्फ केशाराम

2. पतासी देवी पत्नी स्व0 श्री केशर राम उर्फ केशाराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राज.)

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर

2.पटवारी पटवार हल्का कायमसर तहसील रामगढ शेखावाटी

..........अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत संशोधन खाता अन्तर्गत धारा 136 रा.भू. अधिनियम</u>

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि वाके ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी के पटवार हल्का कायमसर मे अवस्थित खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 7.49 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा, व खसरा नम्बर 288 रकबा 6.53 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, तथा खसरा नम्बर 117 रकबा 6.76 हैक्टयर मे से प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भुमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी संख्या एक का नाम सहवन से रघुवीर के स्थान पर रूघवीर तथा प्रार्थी के पिता का नाम केशर राम के स्थान पर केशाराम दर्ज है, जबकी प्रार्थी संख्या एक के समस्त लोक अभिलेखो में प्रार्थी का नाम रघुवीर पुत्र केशर राम उर्फ केशाराम चला आ रहा है। तथा गॉव मे भी प्रार्थी को रघुवीर पुत्र केशर राम उर्फ केशाराम नाम से जानते है। प्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रघुवीर व पिता का नाम केशर राम अंकित है तथा प्रार्थी के नाम से अन्य दस्तावेज मे भी प्रार्थी का नाम रघुवीर व पिता का नाम केशर राम दर्ज होने से उक्त कृषि भुमियों के राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी मे प्रार्थी संख्या एक का नाम रूघवीर पुत्र केशर राम के स्थान पर रघुवीर पुत्र केशर राम उर्फ केशाराम अंकित करवाने का अधिकारी है। यह कि उक्त कृषि भुमियों के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी संख्या दो पतासी देवी के पति का नाम केशर राम के स्थान पर केशा राम दर्ज है प्रार्थी संख्या दो के पति को गॉव मे केशर राम उर्फ केशाराम के नाम से जाना जाता है तथा प्रार्थी संख्या दो के समस्त लोक दस्तावेजो में प्रार्थीया के पति का नाम केशर राम चला आ रहा है। जिसे प्रार्थीया उसे संशोधन करवाने की

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत.......ठेडी

है। यह कि प्रार्थी संख्या एक के नाम से जारी राशन कार्ड में प्रार्थी संख्या दो
वी के पति का नाम केशर राम अंकित है तथा प्रार्थीनी के मतदाता पहचान पत्र मे
नी के पति का नाम पतासी देवी पत्नी केशर राम दर्ज है। व प्रार्थीनी के अन्य दस्तावेजो मे भी प्रार्थीनी के पति का नाम केशरराम उर्फ केशाराम दर्ज होने से कृषि भुमियों के राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी मे प्रार्थी संख्या दो के पति का नाम शाराम के स्थान पर केशर राम उर्फ केशाराम अंकित किया जाना न्योयोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमिया खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 7.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 6.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117 रकबा 6.76 हैक्टयर, कुल किता 3 वाके ग्राम लावण्डा पटवार हल्का कायमसर तहसील रामगढ जिला सीकर **की खातेदारी** मे प्रार्थी संख्या एक का नाम रूघवीर पुत्र केशाराम के स्थान पर रघुवीर पुत्र केशरराम उर्फ केशाराम अंकित किया जावे तथा प्रार्थी संख्या दो के पति का नाम उक्त कृषि भुमियो की खातेदारी मे केशाराम के स्थान पर केशर राम उर्फ केशाराम अंकित किया ओर जाति चमार के स्थान पर बलाई अंकित की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रामगढ ने रिपोर्ट मे कथन किया कि प्रार्थी संख्या 01 का वास्तविक नाम रघुवीर पुत्र केशर राम है, रूघवीर व रघुवीर एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया, जिससे प्रार्थी का नाम खातें मे रूघवीर दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी संख्या 01 का नाम रूघवीर पुत्र केशाराम के स्थान पर रघुवीर पुत्र केशरराम तथा प्रार्थी संख्या 02 के पति का नाम केशाराम के स्थान पर केशरराम किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बैंक ऑफ बडौदा नो ड्यूज एवं तहसीदार रामगढ शेखावाटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है कि विवादित पैतृक कृर्षि भूमि वाके ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के पटवार हल्का कायमसर मे अवस्थित खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 7.49 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा, व खसरा नम्बर 288 रकबा 6.53 हैक्टयर मे प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, तथा खसरा नम्बर 117 रकबा 6.76 हैक्टयर मे से प्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा मे जरियें संशोधन प्रार्थी संख्या 01 का नाम रूघवीर पुत्र केशाराम के स्थान पर रघुवीर पुत्र केशरराम तथा प्रार्थी संख्या 02 पतासी के पति का नाम केशाराम के स्थान पर केशरराम

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत

...ा है। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर

...र्णय आज दिनांक 21.05.2018 को कैम्प कोर्ट ग्रा. पं. ठेडी मे खुले न्यायालय में सुनाया ...गया।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी, सीकर